9

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

जिला रीवा म०प्र०

R 5089-III/16

Rs-20/-

1- उग्रसेन सिंह पिता सूर्यभान सिंह उम्र 45 साल पेशा खेती,

2- जयराज सिंह पिता सूर्यभान सिंह उम्र 40 साल पेशा खेती,

दोनों निवासीगण ग्राम पुरी, त०ह० हुजूर, जिला रीवा म०प्र० -- आवेदकगण/
निगराकारगण

विरुद्ध

शासन म०प्र० ---- ------------------ गैरनिगराकार/अना०

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०

भूराजस्व संहिता सन 1959 विरुद्ध तहसीलदार महोदय, त०ह० हुजूर के आदेश 16-11-15 राजस्व प्रकरण

क्रमांक 33-12/15-16

श्री. शत्रुघ्न सिंह एड के द्वारा आज दिनांक 17-2-16 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

महोदय,

निगरानी के आधार अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है:-

1- यहकि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवम न्यायिक प्रक्रिया के प्रतिकूल होने के कारण काबिल निरस्तगी के है।

2- यहकि आवेदकगण/ निगराकार द्वारा, अपने स्वत्व व आधिपत्य की भूमियां जिनका खसरा नं० 166/1 0-14 हे० 177/1 रकबा 0-203 हे० 168/1 रकबा०-168 हे० 180/1 रकबा०-075हे० 181/1 रकबा०-073हे० 182/1 रकबा०-203 हे० 185/1 रकबा०-139 हे०, 186/1 रकबा०-026 हे० 187/1 रकबा०-045हे०, 222/1 रकबा०-101हे० 286/1 रकबा०-231के

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5089–दो/2016   जिला –रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
21-05-18	आवेदक के अधिवक्ता श्री शत्रुदमन सिंह द्वारा यह निगरानी तहसीलदार हुजूर जिला रीवा प्र0 क्र0 13/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 16.11.2015 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई। 2– प्रकरण में अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि तहसीलदार हुजूर जिला रीवा द्वारा अपने आदेश पत्रिका में लेख किया गया है कि अभी प्रकरण मान0 सिविल न्यायालय में विचाराधीन है, यह स्पष्ट है कि मान0 सिविल न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी है ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती । इससे स्पष्ट है कि तहसीलदार हुजूर जिला रीवा प्र0 क्र0 13/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 16.11.2015 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं	

होती है। उनका आदेश स्थिर रखने योग्य है।

3- उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार हुजूर जिला रीवा प्र0 क0 13/अ-12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 16.11.2015 स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय में भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य